न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारीः– श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 242/2015

सिलोचना पत्नी हनुमान जाति बिश्नोई निवासी चक 239.500 आर.डी. तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

––अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।

––रेस्पोंडेंट

अपील अर्न्तगत धारा 75 राज.भू–राजस्व अधि. 1956

विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

दिनांक 19.03.2015

उपस्थिति :–

श्री विनोद कुमार बिश्नोई, अभिभाषक अपीलांट

श्री श्याम सुन्दर चाण्डक, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक :– 28.07.2017

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थीया/अपीलांट ने तहसीलदार सूरतगढ के समक्ष जमाबन्दी में खाला को हटाने का प्रा.पत्र पेश किया। प्रार्थी ने उक्त प्रा.पत्र में निवेदन किया कि प्रार्थीया के नाम से चक 239.500 आर.डी. का खाता सं. 39 का प.नं. 121/342 मु.नं. 20 में कि.नं. 1 ता 5 में 1.240है0 क0(1.088क0+0.152है0 खाला) भूमि खातेदारी अंकित है। प्रार्थीया ने निवेदन किया कि कि.नं. 1 ता 5 में मौका पर खाला नहीं है। अतः निवेदन है कि जमाबन्दी में अंकित खाला को हटाया जाकर जमाबन्दी में कुल भूमि 1.240है0 क0दर्ज करने के आदेश फरमावे।

28/7/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

तहसीलदार ने पटवारी से रिपोर्ट तलब करने पर दिनांक 29.10.2013 को प्रार्थना पत्र यह अंकित करते हुए उपखण्ड अधिकारी सूतरगढ को मुन्तकिली किया जाकर प्रेषित किया कि किस्म परिवर्तन का मामला है जो उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ के क्षेत्राधिकार है।

उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ ने दिनांक 11.07.14 को पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर पत्रावली वास्ते सुनवाई दिनांक 18.07.2014 को पेश करने के आदेश दिये। उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ ने सुनवाई करने के उपरांत दिनांक 19.03.2015 को प्रार्थीया का प्रा.पत्र स्वीकार करते हुए चक 239.500 आर.डी. के प.नं. 121/342 मु.नं. 20 के कि.नं. 1 ता 5 में खाला की 0.152है0 भूमि की डी.एल.सी. की दोगुणी राशि प्रार्थीया द्वारा जमा करवाने पर 0.152है0 खाला दर्ज का नोट निरस्त कर कुल 1.240है0 भूमि प्रार्थीया के नाम अंकित करने के आदेश दिये। उक्त आदेश से व्यथीत होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की है। अपील के साथ अपीलांट ने दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रा.पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रथम तो खाला का नोट हटाने व भूमि अपीलांट के खाते में कमाण्ड दर्ज करने की एवज में कोई भी राशि लेना ही गैरकानूनी है, दूसरी अगर राशि ली भी जाती है तो वो स्मालपेच दर से अथवा सामान्य आवंटन दर से ली जानी चाहिए थी परन्तु डी.एल.सी. दर से दुगुणी राशि का आदेश विधि विरूद्ध पारित किया है जो खारिज किया जाने योग्य है। अपीलांट ने तहसीलदार सूरतगढ के समक्ष जमाबन्दी में खाला का नोट हटाने बाबत प्रा.पत्र प्रस्तुत किया जिस पर पटवारी हल्का की रिपोर्ट मांगी गई। अपीलांट के पति पटवारी हल्का व तहसीलदार सूरतगढ से प्रा.पत्र के बारे में पता करते रहे। अपीलांट ने दिनांक 21.09.2015 को जब वकील से सम्पर्क कर प्रा.पत्र के सम्बन्ध पता किया तो पता चला कि उक्त प्रा.

28/7/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

पत्र का निर्णय दिनांक 19.03.2015 को हो चुका है। इस पर नकल प्राप्त कर बिना किसी देरी के अपील दफा 5 मियाद अधिनियम के प्रा.पत्र मय शपथ पत्र पेश की है। अतः निवेदन है कि अपील अन्दर मियाद शुमार की जाकर अपील उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ के आदेश दिनांक 19.03.2015 में संशोधन किया जाकर चक 239.500 आर.डी. के प.नं. 121/342 मु. नं. 20 के कि.नं. 1 में 0.026है0 , 2 में 0.025है0 , 3 में 0. 025है0 , 4 में 0.025है0 तथा कि.नं. 5 में 0.051 है0 में से 0.026है0 भूमि तक खाला का नोट हटाया जाकर रकबा कमाण्ड दर्ज करने के आदेश पारित किये जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधी. न्यायालय ने विधिसम्मत निर्णय पारित किया है इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। अपीलांट ने अपील देरी से पेश करने बाबत समुचित कारण पेश नहीं किये है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अधी.न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से प्रतीत होता है कि राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि की किस्म खाला को परिवर्तित करने के लिए सिंचाई विभाग, पटवारी , तहसीलदार एवं अधी. न्यायालय ने Nexus के रूप में काम किया है। कृषि भूमि के वर्गीकरण में किस्म खाला दर्ज है जो राजस्व नियमों में गैर मुमकिन भूमि परिभाषित है जिसकी किस्म परिवर्तन की शक्तियां राज्य सरकार के पास है जबकि अधी. न्यायालय ने राजस्थान Colonization (general colony) conditions नियम 1955 के नियम 8(2) की आड़ में खाला हटाने के आदेश किये है जो नियम विरूद्ध है, नियम किसी भी रूप में उपरोक्त आदेश जारी करने के लिये अधी. न्यायालय को अधिकृत नहीं करता है जैसाकि नियम 8(2) की bare reading है कि " 1(xxxxxx). The right to create or reserve a

28/7/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

right of way in favour of the Government or any person or any class of persons or of the public gererally , and the right to construcdt inter or intra- village roads , through or across the said land or any part thereof, and not over a strip exceeding at any point 4 gathas in which , as the Collector, may , from time to time , in public interest or for the benefit of any or all land holders of the chak or village or for the protection and maintenance of any property or exercise of any right reserved to the Government , consider desirable and may by an order in writing direct.

" 2(Provided that no compensation of any kind shall be claimable by the grantee or any other person in respect of such area no water rate, soil advantage rate, betterment fee, land revenue taxes or cesses shall be payable by the tenant.)

अतः इस नियम के अन्तर्गत जारी आदेश नियमों में नहीं होने से Abinitio void होने से खारिज योग्य है साथ डी.एल.सी. की दर का दुगुना वसूलने के आदेश किस नियम के तहत दिये है न तो विवेचना की है और न ही पत्रावली पर इसका आधार उपलब्ध है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जाकर, वर्तमान इन्द्राजात, 'खाला' को यथावत रखने के आदेश दिये जाते हैं।

निर्णय आज दिनांक 28.07.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28/7/17

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)